अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव0व0अधि0), वाराणसी।

उपस्थितः सर्वजीत कुमार सिंह (उच्च0 न्या0 से0) प्रभारी

जे.ओ. कोड-यू0 पी0-6354

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1899/2026

राजेश यादव पुत्र स्व0 पन्ना लाल निवासी 13/65 लहंगपुरा, थाना चेतगंज, वाराणसी।

----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश --------------अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या-688/2020,
अंतर्गत धारा-135 विद्युत अधि०,
थाना- एंटी पॉवर थेफ्ट,
जिला-वाराणसी।

दिनांक-06-06-2026

जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राजेश यादव पुत्र स्व0 पन्ना लाल निवासी 13/65 लहंगपुरा, थाना चेतगंज, वाराणसी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-688/2020, अंतर्गत धारा-135 विद्युत अधि०, थाना- एंटी पॉवर थेफ्ट, जिला-वाराणसी के मामले में मूल पत्रावली के साथ प्रस्तुत हुआ। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

प्रार्थी/अभियुक्त NBW पर गिरफ्तार होकर जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध किया गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर घरेलू विधा में डायरेक्ट केबिल डालकर LMV-1 में 2KW विधा में बिना किसी कॉमर्शियल संयोजन व बिना ऊर्जा मीटर के विद्युत का उपयोग किये जाने का अभियोग है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर रहा है और अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध जारी NBW पर गिरफ्तार होकर वह दिनांक 05.06.206 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त का कथन है कि उसके द्वारा जानबूझकर गलती नहीं की गयी है और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेंगी।

अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राजेश यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु० 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(सर्वजीत कुमार सिंह)
प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव0व0अधि0), वाराणसी।
जे.ओ. कोड-यू0 पी0-6354

Digitally signed by SUSHIL KUMAR KHARWAR
Date: 2026.06.06 11:45:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court